

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 12(1)वन/2018-01204-पार्ट-4

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के नियम 26 के प्रावधानानुसार वन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2025 से नियुक्तियों हेतु विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आवश्यक अस्थायी आधार पर राशि रुपये 56,100/- (अक्षरे रुपये छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से तीन माह अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो के लिए, पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्य करने हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

S.No	Name	Father's Name	DOB	Male/ Female	Category	TSP/ Non TSP
1	Anima Sharma	Sabhash Chandra Sharma	10.04.2001	Female	GEN	NTSP
2	Bharti Yadav	Narendra Singh Yadav	15.08.1998	Female	BC	NTSP
3	Kanchan Sarswat	Rajesh Kumar	18.01.2001	Female	GEN	NTSP
4	Abhitesh Jangid	Mukesh Chand	03.07.1998	Male	BC	NTSP
5	Kusum Yadav	Mukesh Chand Yadav	01.01.2001	Female	GEN	NTSP
6	Tripta Prajapat	Magan Lal	10.10.1999	Female	OBC	NTSP
7	Sachin Kumar Yadav	Ramanand Yadav	25.12.1998	Male	BC	NTSP
8	Rahul Kumar	Dharmveer Yadav	16.03.2000	Male	OBC	NTSP
9	Priya Kataria	Kurda Ram	28.08.2000	Female	SC	NTSP
10	Ajit Singh	Hari Singh	13.06.1997	Male	ST	NTSP
11	Yukti Parmar	Kamlesh Parmar	19.04.1999	Female	ST	TSP
12	Priyanshu Katara	Ramlal Katara	24.11.1997	Male	ST	TSP
13	Balveer Singh Charpota	Manilal Charpota	15.05.2000	Male	ST	TSP
14	Gaurav Damor	Amarji Damor	19.08.1998	Male	ST	TSP



15	Naresh Meena	Nahar Singh Meena	05.08.1998	Male	ST	TSP
----	--------------	-------------------	------------	------	----	-----

आवश्यक नियम एवं शर्तः—

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। इस नियुक्ति के अधीन अभ्यर्थी राज्य सरकार से भविष्य में नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहेगा।
2. नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी।
3. समेकित पारिश्रमिक में से जी.पी.एफ./सी.पी.एफ., राज्य बीमा आदि की कटौती नहीं की जाएगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी का जिस जिले में पदस्थापन किया जाएगा उस जिले से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 05 कार्य दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
6. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी पशु चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता/लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास रहेगा।
7. यह अस्थाई नियुक्ति विभाग द्वारा तदर्थ जारी मूल विज्ञप्ति की शर्तों के अधीन होगी।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार योगी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)।
6. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्यो. कार्या., प्रमुख को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव